



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर  
क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा (78)/2016/456 दिनांक :- 10-10-2016

कार्यालय-आदेश

शासन सचिव, परिवहन विभाग, पंजाब सरकार, द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2/46/90-4T2/85610 दिनांक 30.9.2016 से पंजाब राज्य में संचालित मंजिली वाहनों की यात्री किराया दरों में परिवर्तन/संशोधन किया गया है। किराया परिवर्तन के लिये जारी अधिसूचना की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। यह किराया दरें दिनांक 1.10.2016 से लागू की गई है।

आप द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक एफ-4/मुख्या/याता/लेखा/93/220 दिनांक 19.05.1993 की अनुपालना में किराया दरों में वृद्धि के अनुरूप किराया वसूली प्रारम्भ कर दी गई होगी।

अतः सभी सम्बन्धितों को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि संलग्न अधिसूचना के अनुसार पंजाब राज्य में संचालित निगम वाहनों की किराया तालिका का पुनः निरीक्षण करें तथा संशोधित दरानुसार यात्री किराया राशि की वसूली सुनिश्चित करें।

यह आदेश वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा माननीय प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्न: अधिसूचना की प्रति(पृष्ठ भाग पर)

(सोहन लाल धानका)

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा (78)/2016/456 दिनांक:-10-10-16  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष /प्रबन्ध निदेशक, रा. प. निगम, मुख्यालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ..... रा. प. निगम..मुख्यालय, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त/उप महा प्रबन्धक, 2.7 रा. प. निगम. मु.जयपुर।
4. कार्यकारी प्रबन्धक( निरीक्षण/यातायात)रा.प. निगम,मुख्यालय,जयपुर।
5. उप महा प्रबन्धक(आई.टी.),राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है निगम वेब साईट पर इसको उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं ई.टी.आई.एम / कम्प्यूटर में आवश्यक संशोधन करावे।
6. कार्यकारी प्रबन्धक (जनसम्पर्क).रा. प. निगम, मुख्यालय जयपुर।
7. सहायक लेखाधिकारी (टिकिट/स्टोर/अंकेक्षण) राज0 .जयपुर।
8. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक(वित्त/याता)रा.परिवहन निगम.....
9. आदेश पत्रावली।

(सोहन लाल धानका)

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

771470  
15/10